

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग
नदी प्रबन्ध समन्वय निदेशालय



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
River Management Co-ordn. Directorate

दिनांक: 16.06.2023

सेवा में,

श्री देवाशीष भट्टाचार्य
16/338, काली बाड़ी, एस. एन. मेडिकल कॉलेज के पास
आगरा-282003 (उत्तर प्रदेश)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने RTI आवेदन संख्या CWCND/R/X/23/00011, दिनांक 02.06.2023 एवं CWCND/R/T/23/00099, dated 06.06.2023 का संदर्भ लें जो इस कार्यालय में दिनांक 07.06.2023 एवं 08.06.2023 को अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक A-49012/8/2023/RTI/803-04, दिनांक 06.06.2023 एवं समान संख्या 846-48, दिनांक 08.06.2023, क्रमानुसार द्वारा प्राप्त हुए थे और जिस में RTI Act, 2005 के तहत जानकारी मांगी गयी है।

इस संबंध में, नदी प्रबंध स्कन्ध (मुख्यालय), केंद्रीय जल आयोग के अधीन निदेशालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उपरोक्त दोनों RTI आवेदन में मांगी गई जानकारी निम्नानुसार है:

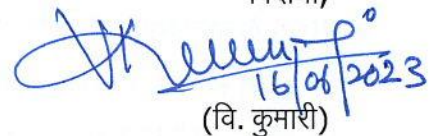
क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	सन 1900 से सन 2023 तक मई और जून के औसत तापमान के बारे में जानकारी दें।	नदी प्रबंध स्कन्ध (मुख्यालय), केंद्रीय जल आयोग में संबन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
2	सन 1900 से सन 2023 तक सबसे गर्म मई और जून महीने की जानकारी दें।	
3	सन 1900 से सन 2023 तक सबसे ठंडे मई और जून	

	महीने की जानकारी दें।	
4	पिछले 25 वर्षों में हुए जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तृत जानकारी दें।	
5	पिछले 25 वर्षों में यमुना का जलप्रवाह कितना कम हुआ इसकी जानकारी दें।	यमुना बेसिन के आंकड़े गोपनीय श्रेणी में आते हैं जिनका वितरण "HYDRO-METEOROLOGICAL DATA DISSEMINATION POLICY-2018 के तहत होता है। नीति विवरण जानने हेतु निम्नलिखित वेब-लिंक का प्रयोग कर सकते हैं: https://cwc.gov.in/sites/default/files/hddp2018_0.pdf
6	यमुना में सर्वाधिक प्रदूषण किस शहर में होता है इसकी जानकारी दें।	नदी प्रबंध स्कन्ध (मुख्यालय), केंद्रीय जल आयोग में संबन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीली अधिकरण के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते हैं जिसका विवरण नीचे दिया है:

निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय निदेशालय) एवं प्रथम अपीली अधिकरण, नदी प्रबंध स्कन्ध (मुख्यालय), केंद्रीय जल आयोग, द्वितीय तल (दक्षिण), सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष 011-29583211.

भवदीया,


(वि. कुमारी)

उप-निदेशक एवं & CPIO

प्रतिलिपि सूचनार्थः

अवर सचिव एवं नोडल अधिकारी, RTI सेल, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली I

द्वितीय तल (दक्षिण), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दूरभाष: 011-29583211
ईमेल: rmdte@nic.in
♦ जल संरक्षण-सुरक्षित भविष्य ♦



2nd Floor (South), Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-110066
Tel: 011-29583211
E-mail: rmdte@nic.in

♦ Conserve Water-Save Life ♦